राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 5(15)राज–1/2014 जयपुर, दिनांक : 13.02.2019

राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में राजकीय/अति./उप राजकीय अभिभाषक नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

राजस्व मण्डल, अजमेर में राजस्व प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु निम्नानुसार राजकीय अभिभाषकों के पदों पर निर्धारित प्रतिमाह रिटेनर फीस भुगतान के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु (राजस्थान राजस्व मण्डल–विधि अधिकारी की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें नियम 1980 के नियम 3 के अन्तर्गत गठित चयन समिति के समक्ष रखे जाने के लिए) पात्र एवं इच्छुक अभिभाषकों से **दिनांक 25.02.2019 सायं 5 बजे तक** सादा कागज पर हस्ताक्षरित आवेदन पत्र निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं:–

क0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या
1	राजकीय अभिभाषक	01 (एक)
2	अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक	01 (एक)
3	उप राजकीय अभिभाषक	11 (ग्यारह)

आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(I) नियुक्ति के लिए योग्यता, शर्तें, कर्तव्य व पारिश्रमिक राजस्थान राजस्व मण्डल (विधि अधिकारी की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम 1980 के अनुसार होगी। मुख्य शर्तें निम्न प्रकार है :–

(ए) वह भारतीय नागरिक हो एवं अधिवक्ता के रूप में विधिवत पंजीकृत हो।

(बी) अनुभव की समस्त अवधि 10 वर्ष से कम न हो, जिसमें या तो वह अधिवक्ता के रूप में वकालत कर रहा हो अथवा राजस्व अधिकारी रहा हो अथवा वह अंशकालीन अभिभाषक अथवा अंशकालीन राजस्व अधिकारी रहा हो।

(सी) नियुक्ति की दिनांक को आयु 30 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक न हो।

(डी) सहायक जिला कलक्टर न्यायालय के स्तर अथवा उच्चतर किसी राजस्व न्यायालयों में पैरवी करने का अनुभव हो अथवा राजस्व प्रकरणों को निर्णित किया हो।

(II) प्रपत्र आवेदन पत्र

क. सं.	नाम अभिभाषक /स्थाई पता/	जन्म तिथि	01.03.19 को आयु	शैक्षणिक योग्यता	बार काउंसिल की रजिस्ट्रेशन संख्या	कार्य अनुभव (वर्षों में) (प्रमाण पत्रों की स्व सत्यापित प्रतियां सहित)	ई–मेल व मोबाईल न0
1	2	3	4	5	6	7	8

(III) आवेदन प्रस्तुत करने वाले समस्त योग्य अधिवक्ताओं के साक्षात्कार समिति के समक्ष दिनांक 28.02.2019 को प्रातः 11:00 बजे से समिति कक्ष–2, मुख्य भवन, शासन सचिवालय जयपुर में आयोजित होगें।

(शक्ति सिंह राठौड)
संयुक्त शासन सचिव

कृ0प0उ0 .....2 पर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 राज्यमंत्री महो0 राजस्व विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व
3. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ
4. निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर/बेंच जयपुर, /अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, राजस्व मण्डल राज0, अजमेर/अध्यक्ष, जिला बार एसोसियेशन समस्त राजस्थान को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
6. समस्त राजस्व अपील अधिकारी/समस्त भू–प्रबंध अधिकारी राजस्थान को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ **द्वारा– संबंधित जिला कलक्टर**

संयुक्त शासन सचिव